निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 619) पटना, शुक्रवार, 29 जून 2018

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना
27 जून 2018

बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018

सं0 14/डी0एल0ए0–भू–अर्जन एवं पुनर्वास (नीति–14)–32/2014(खण्ड–1) 219/रा0—केन्द्रीय भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**–(1) यह नियमावली बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–4 के उपनियम–9 में संशोधनः–

(1) बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–4 का उपनियम–9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"(9) परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण के मामले में प्रस्तावावार/मौजावार स्थापना व्यय (प्रशासनिक व्यय) एवं आकस्मिकता व्यय की राशि निम्नलिखित रूप में विनिश्चित की जायगी :–

(क) स्थापना व्यय (प्रशासनिक व्यय) में प्रतिकर की राशि का 2.00 प्रतिशत।

(ख) आकस्मिकता व्यय के लिए प्रतिकर की राशि का 0.5 प्रतिशत।

यह प्रावधान वैसे मामलों में प्रभावी नहीं होगा, जिनमें सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राक्कलन/पंचाट की स्वीकृति की कार्रवाई की जा चुकी है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

The 27th June 2018

The Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Rules, 2018.

No. 14/D.L.A Bhu-Arjan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1)219/R—In exercise of the powers conferred under section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 (as amendment form time to time).

1. ***Short title, extent and commencement.—***(1) These rules may be called the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment in sub-rule (9) of rule-4 of the above said rule, 2014 (as amended from time to time):-***

(1) Sub-rule (9) of rule-4 of Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 (as Amendment from time to time) shall be substituted by the following:-

"(9) In the matter of land acquisition for projects, proposal-wise/village-wise establishment charges (administrative cost) and contingency charges shall be determined in following manners.-

(a) Establishment charges (administrative cost) shall be 2.00 (two) percent of the compensation amount.

(b) Contingency charges shall be 0.5 (point five) percent of the compensation amount."

This provision would not be effective in such cases in which estimate/award has been sanctioned at the level of competent authority.

By the order of the Governor of Bihar,
BRIJESH MEHROTRA,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 619-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in